बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक सं0–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–/341–2024-सी0सि0/प्र0-143-/कृ0 पटना दिनांक: 17/10/ 2024

प्रेषक,

मनोज कुमार
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना (+)

विषयः– **राज्य योजना अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी0पी0आर0) के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना हेतु कुल 130.72320 लाख (एक करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ बीस) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य योजना अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी0पी0आर0) के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना हेतु कुल 130.72320 लाख (एक करोड़ तीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ बीस) रूपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के सभी जिलों में ड्रोन द्वारा फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव हेतु इस योजना को लिया जा रहा है, जिससे कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट/व्याधि/खरपतवार नियंत्रण किया जा सकेगा एवं तरल उर्वरक यथा एन0पी0के0, एन0पी0के0 कनसोटिया, नैनो यूरिया, नैनो डी0ए0पी0, सूक्ष्म पोषक तत्वों, अन्य उर्वरकों का ड्रोन से छिड़काव कर कम पूँजी एवं समय मे फसलों की उत्पादकता बढाई जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 रबी मौसम में पौधा संरक्षण कृषि विभाग द्वारा कुल 7459 एकड़ में किसानों के खेतों में ड्रोन से कीटनाशी छिड़काव का कार्यान्वयन किया गया।
3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से 38 जिलों के 53400 एकड़ फसलों (खाद्यान्न, दलहन एवं उद्यानिक) में कीटनाशी (कीटनाशी/फफूंदनाशी/खरपतवारनाशी/पादप वृद्धिनियामक) एवं तरल उर्वरक छिड़काव की योजना कार्यान्वित की जायेगी।
4. कृषि विभाग डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित कृषक ही योजना लक्ष्य के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे। राज्य के किसान कही से भी आनलाईन आवेदन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं।
5. योजना अंतर्गत इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर ड्रोन से कीटनाशी/तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 240

D:\Sarita\Yojna 24-25\Roshan\dron yojna 2024-25 - 07-10-new.doc

रू0 प्रति एकड़ का भुगतान संबंधित सेवा प्रदाता को देय होगा तथा शेष छिड़काव शुल्क का भुगतान किसानों द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता को किया जायेगा।

6. एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ हेतु अनुदानित दर पर छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. योजनान्तर्गत किसानों के खेतो में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा राज्य स्तर से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

8. छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रूपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी को CFMS के माध्यम से देय होगा।

9. सेवा प्रदाता एजेंसी जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0) से निबंधन प्राप्त हो, का चयन विज्ञापन/इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए किया जाएगा। इनके पास कीटनाशी के छिड़काव का अनुभव के साथ सेवा प्रदाता के द्वारा कृषकों के खेत में अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव किया जायेगा। सभी जिलों में सेवा प्रदाता का राज्यस्तरीय अनुबंध संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना के बीच किया जायेगा।

10. मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से फसलों पर कीटनाशी छिड़काव हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रचारित इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या 02–पौ0सं0/2023 दिनांक 06.11.2023 के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता अनुबंध अवधि (रबी वित्तीय वर्ष 2024–25 तक) अपने क्षेत्रान्तर्गत छिड़काव हेतु पात्र होगे।

11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थी का चयन इस योजना अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में किया जा सकेगा।

12. मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्गत ड्रोन नियम 2021, ड्रोन (संशोधन) नियम 2022, ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा ड्रोन के परिचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) परिचारित है जिसका शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। साथ ही गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र– PR NO. 005489 (Home) 2023-24 द्वारा भी राज्य में ड्रोन संचालन हेतु निदेश प्रकाशित है जिसके प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियामवली 1971 के Chapter VIII Rule 43 के अंतर्गत कीटनाशकों का हवाई अनुप्रयोग हेतु CIB & RC से अनुशंसित कीटनाशी का उपयोग अनुशंसित मात्रा में किया जायेगा।

14. सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा विभाग के पदाधिकारी/कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग कृषकों के फसलों पर किया जाएगा। फसलों पर छिड़काव हेतु रासायनिक कीटनाशी/जैव कीटनाशी/पादप वृद्धिनियामक/तरल उर्वरक कृषकों के द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

15. किसानों के माँग के अनुरूप सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा कृषि विभाग के कर्मी की उपस्थिति में रासायनिक कीटनाशी/जैव कीटनाशी/पादप वृद्धिनियामक/तरल उर्वरक का घोल बनाकर छिड़काव कार्य को सम्पादित किया जाएगा।

16. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0), द्वारा रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी। डी0 जी0 सी0 ए0 द्वारा निबंधित ड्रोन का ही कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। ड्रोन परिचालन हेतु ड्रोन का Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराये बिना संचालन नही किया जा सकेगा।
17. सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ड्रोन पायलेट के द्वारा ड्रोन परिचालन डी0जी0सी0ए0 द्वारा निर्धारित उँचाई पर किया जाना है।
18. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट कीटनाशी के प्रयोग एवं दुष्प्रभाव से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण NIPHM राजेन्द्र नगर, हैदराबाद के द्वारा विकसित MODULE के अनुसार प्राप्त किये होंगे।
19. कीटनाशी हवाई अनुप्रयोग की जानकारी संबंधित क्षेत्र के पंचायत सचिव, विकसित पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से लोगो को 24 घंटे पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा ।
20. ड्रोन के माध्यम से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक प्रयोग के समय आम लोगो का उस क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित होगा।
21. ड्रोन द्वारा पौधा संरक्षण छिड़काव कार्य कृषि विभाग के कर्मी यथा कृषि समन्वयक/पौधा संरक्षण कर्मचारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक की उपस्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा। तदआलोक में सेवा प्रदाता एजेन्सी के द्वारा लाभान्वित किसानों की सूची, छिड़काव किए गए क्षेत्र का जी0पी0एस0 (संबंधित रकवा का) फोटो एवं सेवा प्रदाता, कृषि कर्मी एवं किसानों का हस्ताक्षर युक्त अभिश्रव संबंधित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड अभिश्रव के आधार पर सेवा प्रदाता को अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।
22. इस योजनान्तर्गत कुल 22800 मानव दिवस का सृजन होगा।
23. इस योजना के सर्वोच्य नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे एवं राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे।
24. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से फसलों में कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची 01 के अनुरूप संलग्न है।
25. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला स्तर पर संबंधित जिले के सहायक निदेशक, पौधा सरंक्षण होंगे। जिलावार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वार कुल वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–02 के रूप में संलग्न है।
26. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्य/घटक संबंधित कृत कार्य के शत–प्रतिशत सत्यापनोपरान्त लाभुकों को देय अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कोषागार के माध्यम से फार्म संख्या **BTC-25** पर **C.F.M.S** के माध्यम से उनके बैंक खाता में स्थानांन्तरित किया जायेगा।
27. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

28. मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना का मार्गदर्शिका सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्ति पश्चात् निर्गत किया जायेगा।

29. मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के सभी घटको में व्यय क्रमशः सामान्य जातिवर्ग में 80.23 प्रतिशत, अनुसूचित जाति में 18.64 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति में 1.13 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा।

30. वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजट शीर्ष, उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या–01,उपशीर्ष–0106–इन्टेनसिफाएड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401001090106 विषय शीर्ष–0106.27.01 लघु कार्य	8048.40	104.87920
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उप शीष–0106–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401007890106 विषय शीर्ष– 0106.27.01 लघु कार्य	1870.48	24.36682
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उप शीर्ष–0134–इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401007960134 विषय शीर्ष–0134 .27.01 लघु कार्य	113.07	1.47718
सकल योग	10031.95	130.7232

31. वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या – 04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2024 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–17/टि0 पर दिनांक–16.10.2024 को प्राप्त है।

32. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

33. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2023 के टिप्पणी पृष्ठ–19/टि0 पर दिनांक–17.10.2024 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–711 दिनांक–17.10.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 24-25\Roshan\dron yojna 2024-25 - 07-10-new.doc

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2024-पी0पी0एम0-143-/कृ० पटना दिनांकः 17/10/ 2024

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2024-पी0पी0एम0-143/कृ० पटना दिनांकः 17/10/ 2024

प्रतिलिपिः— योजना एंव विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2024-पी0पी0एम0-143-/कृ० पटना दिनांकः 17/10/ 2024

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0 ड्रोन–341/2024-पी0पी0एम0-143-/कृ० पटना दिनांकः 17/10/ 2024

प्रतिलिपिः— मान्नीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– 01

वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि–लाख रू0 में)

क0 सं0	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रूपये प्रति एकड़ (लाख रू0 में0)	कन्टीजेंसी 2 प्रतिशत	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	23	2300	5.52000	0.11040	5.63040
2	नालन्दा	20	2000	4.80000	0.09600	4.89600
3	भोजपुर	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
4	रोहतास	19	1900	4.56000	0.09120	4.65120
5	बक्सर	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
6	कैमूर	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
7	गया	24	2400	5.76000	0.11520	5.87520
8	जहानाबाद	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
9	अरवल	5	500	1.20000	0.02400	1.22400
10	नवादा	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
11	औरंगाबाद	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
12	भागलपुर	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
13	बांका	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
14	बेगुसराय	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
15	खगड़िया	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
16	मुंगेर	9	900	2.16000	0.04320	2.20320
17	जमुई	10	1000	2.40000	0.04800	2.44800
18	लखीसराय	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
19	शेखपुरा	6	600	1.44000	0.02880	1.46880
20	सारण	20	2000	4.80000	0.09600	4.89600
21	सिवान	19	1900	4.56000	0.09120	4.65120
22	गोपालगंज	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
23	मुजफ्फरपुर	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
24	वैशाली	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
25	सीतामढ़ी	17	1700	4.08000	0.08160	4.16160
26	शिवहर	5	500	1.20000	0.02400	1.22400
27	पूर्वी चम्पारण	27	2700	6.48000	0.12960	6.60960
28	पश्चिमी चम्पारण	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
29	दरभंगा	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
30	मधुबनी	21	2100	5.04000	0.10080	5.14080
31	समस्तीपुर	20	2000	4.80000	0.09600	4.89600
32	सहरसा	10	1000	2.40000	0.04800	2.44800
33	सुपौल	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
34	मधेपुरा	13	1300	3.12000	0.06240	3.18240
35	पूर्णियाँ	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
36	किशनगंज	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
37	अररिया	9	900	2.16000	0.04320	2.20320
38	कटिहार	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
कुल योग		534	53400	128.16000	2.56320	130.72320

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

अनुसूची– 2

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) से फसलो पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कोटिवार राशि संबंधित विवरणी

राशि–लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार	कोषागार का नाम	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	विकास भवन पटना	4.51727	1.04951	0.06362	5.63040
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,नालन्दा	जिला कोषागार पदाधिकारी नालन्दा	3.92806	0.91262	0.05532	4.89600
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,भोजपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी भोजपुर	2.74964	0.63883	0.03873	3.42720
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,रोहतास	जिला कोषागार पदाधिकारी रोहतास	3.73166	0.86698	0.05256	4.65120
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,बक्सर	जिला कोषागार पदाधिकारी बक्सर	2.16043	0.50194	0.03043	2.69280
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,कैमूर	जिला कोषागार पदाधिकारी कैमूर	2.16043	0.50194	0.03043	2.69280
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,गया	जिला कोषागार पदाधिकारी गया	4.71367	1.09514	0.06639	5.87520
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,जहानाबाद	जिला कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद	1.37482	0.31942	0.01936	1.71360
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,अरवल	जिला कोषागार पदाधिकारी अरवल	0.98202	0.22815	0.01383	1.22400
10	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,नवादा	जिला कोषागार पदाधिकारी नवादा	2.74964	0.63883	0.03873	3.42720
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,औरंगाबाद	जिला कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद	2.16043	0.50194	0.03043	2.69280
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,भागलपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी भागलपुर	3.14245	0.73009	0.04426	3.91680
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,बांका	जिला कोषागार पदाधिकारी बांका	2.16043	0.50194	0.03043	2.69280
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,बेगुसराय	जिला कोषागार पदाधिकारी बेगुसराय	3.53526	0.82135	0.04979	4.40640
15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,खगड़िया	जिला कोषागार पदाधिकारी खगड़िया	1.37482	0.31942	0.01936	1.71360
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,मुंगेर	जिला कोषागार पदाधिकारी मुंगेर	1.76763	0.41068	0.02489	2.20320
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,जमुई	जिला कोषागार पदाधिकारी जमुई	1.96403	0.45631	0.02766	2.44800
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,लखीसराय	जिला कोषागार पदाधिकारी लखीसराय	1.37482	0.31942	0.01936	1.71360
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	जिला कोषागार पदाधिकारी शेखपुरा	1.17842	0.27378	0.01660	1.46880
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,सारण	जिला कोषागार पदाधिकारी सारण	3.92806	0.91261	0.05533	4.89600
21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,सिवान	जिला कोषागार पदाधिकारी सिवान	3.73166	0.86698	0.05256	4.65120
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,गोपालगंज	जिला कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज	2.74964	0.63883	0.03873	3.42720
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,मुजफ्फरपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	3.14245	0.73009	0.04426	3.91680
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,वैशाली	जिला कोषागार पदाधिकारी वैशाली	3.14245	0.73009	0.04426	3.91680
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,सीतामढ़ी	जिला कोषागार पदाधिकारी सीतामढ़ी	3.33885	0.77572	0.04703	4.16160
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,शिवहर	जिला कोषागार पदाधिकारी शिवहर	0.98202	0.22815	0.01383	1.22400
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,पूर्वी चम्पारण	जिला कोषागार पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण	5.30288	1.23203	0.07469	6.60960
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,पश्चिमी चम्पारण	जिला कोषागार पदाधिकारी पश्चिमी चम्पारण	3.53525	0.82135	0.04980	4.40640
29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,दरभंगा	जिला कोषागार पदाधिकारी दरभंगा	3.53525	0.82135	0.04980	4.40640
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	जिला कोषागार पदाधिकारी मधुबनी	4.12446	0.95825	0.05809	5.14080
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,समस्तीपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी समस्तीपुर	3.92806	0.91261	0.05533	4.89600
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,सहरसा	जिला कोषागार पदाधिकारी सहरसा	1.96403	0.45631	0.02766	2.44800
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,सुपौल	जिला कोषागार पदाधिकारी सुपौल	2.16043	0.50194	0.03043	2.69280
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,मधेपुरा	जिला कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा	2.55324	0.59320	0.03596	3.18240
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,पूर्णियॉ	जिला कोषागार पदाधिकारी पूर्णियॉ	2.74964	0.63883	0.03873	3.42720
36	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,किशनगंज	जिला कोषागार पदाधिकारी किशनगंज	1.37482	0.31942	0.01936	1.71360
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,अररिया	जिला कोषागार पदाधिकारी अररिया	1.76763	0.41068	0.02489	2.20320
38	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	जिला कोषागार पदाधिकारी कटिहार	3.14245	0.73009	0.04426	3.91680
	कुल योग		104.87920	24.36682	1.47718	130.72320

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना